न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 31 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 73

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
स्व. गेना वल्द प्रहलादजी, जाति बिश्नोई के कायम मुकाम 1 भाखराराम पुत्र गेनाजी वगैरह	ग्राम पंचायत, अरणाय जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अरणाय वगैरह

स्थगन प्रार्थना–पत्र

तारीख रजु :– 07.06.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2 की और से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश पुरोहित व प्रतापाराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 01 की और से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतापाराम बिश्नोई उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 29.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा हनुवंतनगर में स्थित वादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा नंबर 1564 रकबा 4.69 हैक्टेयर में से नवीन खसरा संख्या 2286 / 1564 रकबा 0.96 हैक्टेयर आराजी बैचान नामा में उल्लेखित पड़ौस बीच का भू भाग प्राथीगण / अपीलार्थीगण के पिता दादा स्व गेना वल्द प्रहलादजी कौम बिश्नोई निवासी अरणाय (वर्तमान हनुवन्तनगर) ने विप्रार्थीगण संख्या 02 हरीराम पुत्र धुकलाराम कौम बिश्नोई को जरिये पंजिकृत विक्रिय पत्र दिनाक 19 व 20.06.2006 को विक्रिय किया गया था। स्व गेनाजी दिनांक 27.12.2013 को फौत हो चुके है जिनके पिछे कायम मुकाम प्रार्थी संख्या 01 व 02 व सुखराम पुत्र गेनाजी है। सुखराम ने वादग्रस्त आराजी में स्थित अपना संपूर्ण हिस्सा गेनाजी की फौतेदगी के बाद प्रार्थी संख्या 02 व 03 को बहिस्सा बराबर विक्रय कर दिया है। ग्राम पंचायत अरणाय ने बैचाननामा दिनांक 20.06.2006 के आधार पर अपीलाधीन म्यूटेशन विप्रार्थी संख्या 02 के नाम से अवैध रूप से विवादित तरमीम कर दी है। प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरूद्व मातेहत ग्राम पंचायत अरणाय के अपीलाधीन म्यूटेशन व विवादित तरमीम के विरूद्व न्यायालय श्रीमान समक्ष अपील प्रस्तुत करते है। प्रार्थीगण की म्यूटेशन अपील मजबूत आधारों पर आधारित होकर इसमें सुनवाई व उचित आधार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में मजबूत प्रथम दृष्ट्या मामला है। मातेहत ग्राम पंचायत अरणाय ने अपीलाधीन म्यूटेशन के जरिये अपने निहित विधिक ज्यूरिशडिक्शन के परे जाकर बंटवाड़ा की शक्तियों का बिना क्षेत्राधिकार अविधिक रूप से प्रयोग करते हुए वादग्रस्त भूमि की बैचान रजिस्ट्री 20.06.2022 से परे अपनी मर्जी माफिक तरमीम कर विप्रार्थी संख्या 02 को मर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:28:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

माफिक स्थान पर विवादित तरमीम से एरोडोमेट करने का प्रयास किया गया है जो पूर्णतय ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर अवैध व शून्य आदेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का यह स्थगन आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मातेहत ग्राम पंचायत अरणाय की अपीलाधीन तरमीम व म्यूटेशन की पालना व क्रियान्विति मुल अपील के निस्तारण तक रोकी जाकर मौका पर वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1564 रकबा 4.69 हैक्टेयर में से 2286/1564 रकबा 0.96 हैक्टेयर मौजा हनुवन्तनगर में विप्रार्थी संख्या 02 अन्दर बलपूर्वक कब्जा, खेती, निर्माण कार्य आदि नहीं कर मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौजा हनुवन्तनगर पटवार हल्का अरणाय के खेत खसरा नंबर 1564 रकबा 4.69 हैक्टेयर में से बैचानकर्ता गैना पुत्र प्रहलाद बिश्नोई मात्र अकेले की ही खातेदारी आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 02 जरिये बैचान दस्तावेज दिनांक 20.06.2002 को बैचानकर्ता गेना से खेत खसरा नंबर 1564 रकबा 4.69 हैक्टेयर में से 0.96 हैक्टेयर की प्रतिफल की राशि बैचानकुनदा को 65000 हजार रूपये अक्षरे पैंसठ हजार रूपये अदा कर खेत खसरा नंबर 1564 रकबा 4.69 हैक्टेयर में से 0.96 हैक्टेयर आराजी चारों पड़ोसान के स्थित खरीदकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा हनुवन्तनगर पटवार हल्का अरणाय के अपीलाधीन नामान्तरकरण की पालना व क्रियान्विति रोकी जाकर वर्तमान खसरा संख्या 1564 रकबा 4.69 हैक्टेयर में से नवीन खसरा संख्या 2286/1564 रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:28:52 IST
Reason: SelfAttested

(प्र[illegible] कुम[illegible] आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर